अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

## आदेश–पत्रक

( ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३ |
|---|---|---|
| | **आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा**<br>भूमि विवाद अपील संख्या–362/2012<br>1. अरविन्द साह पिता–भागवत साह<br>2. जनार्दन साह पिता स्व0 गोरेलाल साह<br>ग्राम–जदिया, थाना–जदिया,<br>जिला–सुपौल ..... अपीलकर्त्ता<br>बनाम<br>1. नाथन साह पिता स्व0 जसीलाल साह<br>2. मस्मोमात मुशहरनिया देवी<br>ग्राम–जदिया, थाना–जदिया,<br>जिला–सुपौल .....विपक्षी.....1<br>3. राज्य सरकार.....अपीलकर्त्ता.....2<br>**आदेश** | |
| 2-12-2014 | यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के विविध वाद संख्या–09/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।<br>2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को राज्य सरकार की ओर से सुना।<br>3. अपीलकर्त्ता का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि विवादित भूमि मौजा–जदिया, थाना–जदिया, अंचल–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल में स्थित है, जिसका खाता 171 खेसरा 2020 रकवा 02 डीसमील है। पुराना खाता 171 खेसरा 2020 रकवा 04 डीसमील (18 धूर) पुराने खतियान में भीखो साह, गोपी साह, तौफी साह, किशुन साह, महावीर साह, रघुवीर साह, चंदन साह, वंशी साह एवं शबुरी साह के नाम से दर्ज था। प्रत्येक रैयत को 02–02 धूर करके हिस्सा प्राप्त था। भीखो साह के परपोता मयानन्द साह पिता श्रीलाल साह ने केवाला दिनांक 16. | |

05.1987 द्वारा 04 धूर जमीन खतियानी रैयत तौफी साह के पुत्र जदु साह तथा खतियानी रैयत रघुवीर साह से हिस्सा अनुसार खरीद लिया। खतियानी रैयत महावीर साह के पुत्र धतुरी साह एवं जर्नादन साह तथा खतियानी रैयत चंदन साह के पुत्र उदयानंद साह ने निबंधित केवाला दिनांक 17.12.2001 को अपनी भूमि 04 धूर मयानन्द साह को बिकी कर दिये। मयानन्द साह ने 1 धूर भूमि खतियानी रैयत किशुन साह के पुत्र नारायण साह को किये। इस तरह मायानन्द साह को तीन केवाला से 09 धूर भूमि प्राप्त हुआ। मायानन्द साह ने अपनी उक्त 09 धूर भूमि निबंधित केवाला से जसीलाल साह को किए, जिसपर वे दखलकार हुए तो दाखिल-खारीज उनके नाम से हुआ, जो एक चक में है। विद्वान अधिवक्ता को आगे कथन है कि विपक्षी संख्या-1 नाजायज रूप से 4.5 धूर जमीन पर झंझट करने लगे तथा जबरदस्ती बेदखलकर दिये, जिस वजह से केस दाखिल करना पड़ा। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि कोशी दियारा वर्ष 1931 ई0 से पूर्व विवादित भूमि का खाता 100 तथा खेसरा 1023 था, जिसका 1931 ई0 के सर्वे में खाता 171 एवं खेसरा 2020 बना। भीखो साह पिता सुखलाल साह, गोपी साह व तौफी साह नावालिक पिता पंचु साह एवं तुलसी साह पिता लत्तर साह, पंशी साह पिता चुआ साह के बीच वाद संख्या-192/1926 चला था जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, जो दाखिल किया गया, जिसके आधार पर डीड भी रजिस्टर्ड दिनांक 22.12.1926 ई0 को हुआ, जिसका डीड संख्या-6016/1926 है। उक्त डीड से खइकन साह व गोरेलाल साह पिता चेतराम साह को 01 कट्ठा 07 धूर भूमि प्राप्त हुआ। अपीलकर्त्ता गोरेलाल साह के वंशज है एवं 1926 ई0 से ही गोरे लाल साह वंशज यानि अपीलकर्त्ता का विवादित खाता व खेसरा के रकवा 1 कट्ठा 7 धूर पर हकदार एवं दखलकार होते आ रहे है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि भूतपूर्व जमींदार के सरिस्ते में जमाबंदी कायम हुई एवं जमींदारी उन्मूलन के समय भूतपूर्व जमींदार रिर्टन गोरे लाल साह ने नाम से दाखिल हुआ जो बिहार सरकार के सरिस्ते में भी कायम हुआ। लगान रसीद निर्गत एवं हासिल होता रहा है। हाल सर्वे (1964-65) में नया खेसरा 1760 पुराना खेसरा 2016, 2017, 2019 एवं 2020 बना, जिसपर गोरे लाल साह अपीलकर्त्ता के वंशज के नाम से दर्ज हुआ। इस तरह अपीलकर्त्ता लगभग 12 वर्षो से विवादित भूमि पर दखलकार है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि जब विवादित भूमि को लेकर विपक्षी तंग करने लगे तो अपीलकर्त्ता ने केवाला संख्या-4989 दिनांक 21.12.2001 को 2 धूर जमीन किसन साह के पुत्र जगन साह से खरीद लिया, जिसका जमाबंदी संख्या-1430 कायम हुआ एवं अपीलकर्त्ता के नाम से लगान पूर्जा निर्गत होता आ रहा है। विवादित भूमि के निश्वत् दफा 144 द0प्र0स0 अन्दर विविध वाद संख्या-322/02 की कार्यवाही भी चली थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 20.02.

2003 द्वारा अपीलकर्त्ता के पक्ष में हुआ। विवादित भूमि के निश्वत् एक पंचायती दिनांक 29.10.2011 को हुई थी, जिसमें पंचो ने अपीलकर्त्ता के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन विपक्षी संख्या-1 द्वारा नही माना गया। निम्न न्यायालय का आदेश गलत व निराधार है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना स्थलीय जाँच के आदेश पारित किया गया, जो सही नही है। विपक्षी संख्या-1 का केवाला नजायज व गलत है। भीखो साह को मात्र 02 धूर भूमि हिस्सा होता है। भीखो साह अपने दो पुत्र मुगल साह एवं खेखोरी साह को छोड़कर मर गये। मंगल साह को तीन पुत्र श्रीलाल साह, जसीलाल साह एवं हुकुम साह हुए। श्रीलाल साह को तीन पुत्र मयानंद साह, विजय साह एवं सुनील साह हुआ। इस हिसाब से मयानन्द साह को मात्र 02 धुरकी हिस्सा होता है, इसलिए मयानन्द साह को मात्र 02 धूर जमीन बिक्री करने का अधिकार नही था। निम्न न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत बताया गया।

5. विपक्षी सख्या-1 का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि अपीलकर्त्ता के पिता जसीलाल साह द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में जिला पदाधिकारी, सुपौल के जनता दरबार में आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में निम्न न्यायालय में वाद की कार्रवाई भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत की गयी। विवादित भूमि कुल 9 रैयत के नाम से दर्ज रहता आया एवं खतियान में कब्जेदार के रूप में उपरोक्त रैयत का नाम दर्ज रहते आया। प्रत्येक खतियानी को पुराना खेसरा 2020 में 2-2 धूर जमीन हिस्सा में मिला। इस तरह भीखो साह, गोपी साह, तौफी साह, किशुन साह, महावीर साह, रघुवीर साह, वंशी साह एवं शबरी साह खतियानी रैयत थे। खतियानी रैयत भिखो साह को दो पुत्र खिलौरी साह एवं मंगल साह हुए। मंगल साह को तीन पुत्र श्रीलाल, जसीलाल एवं हुकुम लाल साह हुए। श्रीलाल को तीन पुत्र मयानन्द, विजेन्द एवं सुनील हुए। भीखो साह का परपोत्र महानन्द साह ने निबंधित केवाला संख्या-3764 दिनांक 16.051987 से तौफी साह के पुत्र जदुसाह तथा खतियानी रैयत रघुवीर साह से उनके अंश का हिस्सा निबंधित केवाला 16.05.1987 से 04 धूर जमीन की खरीदगी की। महावीर साह के पुत्र चतुरी साह एवं जनार्दन साह एवं चन्दन साह के पुत्र उदयानन्द साह ने निबंधित केवाला दिनांक 17.12.2001 से अपने हिस्सा के अनुसार 04 धूर मयानन्द साह को बिक्री किये। किशुन साह के दो पुत्र जगन साह एवं नारायण साह हुए एवं अपने हिस्सा के अनुसार खेसरा 2020 में किशुन साह को 02 धूर प्राप्त था एवं वाद मे स्वर्गीय होने तक किशुन साह व नारायण साह व जगन साह को

हिस्सेनुसार एक-एक धूर जमीन प्राप्त रहता आया, जिसमें नारायण साह ने निबंधित केवाला दिनांक 27.12.2001 से 01 धूर मयानन्द साह को बिकी किए। इस तरह मयानन्द साह को प्रश्नगत खेसरा 2020 में तीन निबंधित केवाला से 9 धूर जमीन प्राप्त रहते आया एवं दखलकार रहते आये। मयानन्द साह ने अपने खरीदगी भूमि निबंधित केवाला संख्या-365 दिनांक 24.01.2008 से जसीलाल साह को बिकी कर दिये। जसीलाल साह के नाम से जमाबंदी संख्या-1006 कायम हुआ।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि किशुन साह, जिन्हे 02 धूर भूमि विवादित खेसरा में प्राप्त था, उनके दो पुत्रों में से एक पुत्र जगन साह से ही 02 धूर भूमि वजरिए केवाला द्वारा खरीदकर गलत ढ़ग से दखलबाजी करने लगे एवं बेदखल कर दिया गया, जिससे निम्न न्यायालय में वाद लाना पड़ा। विद्वान अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि अपीलकर्त्ता यह कथन कि किशुन साह के पुत्र जगन साह एवं नारायण साह में आपसी समझौता हुआ। विवादित भूमि का 02 धूर बेचने का अधिकार जगन साह को था एवं यह भी कथन कि केवाला संख्या-6016 वर्ष 1926 द्वारा पुराना खाता 171 का पूर्व खाता 100 एवं खेसरा 2020 का पूर्व खेसरा 1023 से 1 कट्ठा 7 धूर भूमि गोरेलाल साह एवं खरकन साह को दिवानी मुकदमा संख्या-192/1926 में बदलानामा द्वारा प्राप्त हुआ, इस सन्दर्भ में कोई साक्ष्य अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता का दावा गलत एवं बेबुनियाद है। निम्न न्यायालय में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मयानन्द साह को प्राप्त 9 धूर भूमि में दखलकार थे एवं उनके द्वारा केवाला दिनांक 24.01.2008 से उपरोक्त एराजी विपक्षी संख्या-1 के पिता को बिकी कर दिये एवं खरीदार दखलकार हुए एवं जमाबन्दी भी कायम रहते आया। निम्न न्यायालय का आदेश सही एवं विधि सम्मत् है तथा अपीलकर्त्ता का अपील खारीज योग्य है।

6. निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 02.12.2014, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 27.11.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्ष के द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता/विपक्षी द्वारा अपने अपने निबंधित दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत् भूमि पर दावा/प्रतिदावा किया गया है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के आदेश दिनांक 11.08.2012 के परिसीलन से परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पक्षों की विधिवत् सुनवाई एवं कागजी सबूतो के आधार पर अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज को आदेश दिया कि अपीलकर्त्ता, जसीलाल साह द्वारा कय की गयी 9 धूर भूमि जो विक्रेता को प्राप्त मौरूसी भूमि से अलग है, की अंचल अमीन

से मापी कराकर दखल कब्जा दी जाय, साथ ही 9 खतियानी रैयत सहित उनके क्रेता को कायम जमाबन्दी एवं दखल कब्जा के संन्दर्भ में मापी कराकर हिस्सा देने हेतु अभिलेख निम्न न्यायालय को लौटाते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पक्षकार सर्वसम्मति से अपना रास्ता स्वयं तय कर लेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

2.12.14

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा

2.12.14

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा